

1976

Registered Post

Request 95

From, Dinesh Gupta, Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad.

To, The Principal Secretary, Govt. of U.P., Appointment Sec.-4, Lucknow.

No. 11914 / Admin A-1 Sec., dated: 7-10-09

Sub: Grant of three advance increments to post Graduate Selected Candidates of Nayaik Sewa in compliance of order dated 21.03.2002 of Hon'ble Supreme Court.

Sir, With reference to Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91, T.C., dated 13.05.2009 on the above subject, I am directed to say that several Judicial Officers of the rank of, ^{Subordinate Judge,} Additional District Judge, Civil Judge (Senior Div.), Civil Judge (Junior Div.) and retired Judicial Officers who are possessing LL.M degree have represented to the Court for grant of three advance increments w.e.f 21.03.2002 in accordance with aforesaid Government Order. The said G.O. Dated 1305.2009 is not clear on the following points:-

JR(M)
order dated 17.9.09 of Learned R.G. is placed below may pay the file before learned R.G. for signature and issue of the instant draft letter.

- Whether three advance increments are admissible to all the Judicial Officers (any cadre in service or retired) already possessing LL.M degree on 21.03.2002.
- Whether three advance increments are admissible to those Judicial Officers also who acquire LL.M degree after 21.03.2002.
- Whether three advance increments are admissible ^{to} only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service and who have mentioned this qualification in the application form submitted to the Public Service Commission/High Court, Allahabad.
- Whether three advance increments are admissible to only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service as on 21.03.2002 or thereafter.

PK Shivdas
03-10-09
H. S. Pathan
03-10-09

Registrar (R)
of appointments.
The file be laid before Learned Registrar General for signature & issuing the instant letter?

Whether the officers so entitled three advance increments under Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91 T.C., dated 13.05.2009 may also be entitled of Dearness Allowance on the three increments.

I am, therefore, to request you kindly to move the Government to issue necessary clarification on the above point at an early date so that necessary steps for implementation of Government Order may be taken.

Yours Faithfully
Registrar General

J. R. (M)

Reg. Gen
may like to approve and sign the draft

Approved
G.S.

Sent NO. 3

AR Admin / JR(M)

Reply of Court's letter dated 07.10.09 and its subsequent remarks dated 17.12.09 16.2.10 and O.S.S. to is still awaited

Yes
30/7/2010
J.R.L.M.

PK Shivdas
28.07.2010
H. S. Pathan
29-7-10

30/7/10
AR

Sarital
13-7-10
Encl-2

Ramprasad
विवेक
Aug 7-10
15-7-10

Request 95

प्रेषक,

मान वर्धन
अपर सिविल जज (अवर वर्ग)
न्यायालय सं०-१, जनपद रामपुर

Register No.	11810
File No.	3561
Serial No.	3

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

8
19/7/10
23-7-10

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश, जनपद रामपुर।

विषय- प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित-21.03.2002 के अनुपालन में उ०प्र० राज्य के विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं०-1363/दो-4 सन 2009-45(12)/91 टी०सी० नियुक्ति विभाग, 4 दिनांक-13.05.2009 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारियों जिनके पास विधि से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गयी है, उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किया जाना है।

मैं वर्तमान समय से अपर सिविल जज (अवर वर्ग) न्यायालय सं०-१ के पद पर जनपद रामपुर में नियुक्त हूं। मैंने न्यायिक सेवा में दिनांक-20.04.2009 को कार्यभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करने से पूर्व मैंने वर्ष 2003 में विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से प्राप्त कर ली थी।

अतः श्रीमानजी से सादर निवेदन है कि मुझे तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालयके समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

दिनांक-03.06.10

भवदीय
Mmm/Indhan
03/06/10

संलग्नक:-

1. शासनादेश की छायाप्रति।
2. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रमाणित छायाप्रति।

मान वर्धन
अपर सिविल जज (अवर वर्ग)
न्यायालय सं०-१, रामपुर

कार्यालय जनपद न्यायाधीश रामपुर

पत्र संख्या 549 / I

दिनांक-03.06.10
30/6/10

12 JUL 2010

(अग्रसारित)

जनपद न्यायाधीश,
रामपुर
30/6/10

Ramprasad
20-7-10

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Seen. Circulate amongst all Judicial
Officers.

I/C Distt. Judge,
22-05-09

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

16

Request 95

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेड्यूल आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तृतीयिका

प्रतिलिपि उपलिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०,
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कं- 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाइल।

अज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

A.D. 1 ✓
II ✓
III ✓
IV ✓
V ✓
SPL. J. E. C. A. ✓
R.T.C. I ✓
II ✓
J.M. ✓
I ✓
II ✓
III ✓
J.M. ✓

Request 95



प्रमाणित किया जाता है कि मान वर्दान
 को इस विश्वविद्यालय से सन् 2003 की परीक्षा में विधि निष्णात की
 उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्रदत्त की गयी है।

MASTER OF LAWS

This is to certify that Maan Varadhan
 has been conferred the Degree of **MASTER OF LAWS** of this
 University in the Examination of 2003 and that he/she was
 placed in Second Division.

Photocopy Attested

Prof. S.
Rishi Kumar
 Judicial Magistrate
 RAMPUR (U. P.)

[Signature]
 वरुणपति
 Vice - Chancellor